# नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2018

सा.का.िन. 292.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन भर्ती नियम, 2018 है |
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन	08 * (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर-4	अचयन	लागू नहीं होता
(25500-81100/- रु.)		

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	अर्हता:  सफदरजंग अस्पताल के समूह 'ग' कर्मचारियों में से सौ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिन्होने, वेतन मेट्रिक्स में स्तर -1 (18000-56900/- रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से चिकित्सा अभिलेख प्रशिक्षण प्रमाणपत्र या डिप्लोमा के साथ सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अभिलेख के विभाग में पांच वर्ष का अनुभव रखते हो।
	टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम नहीं है और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
	िष्पण 2: प्रोन्नित के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी या पद में विहित अर्हता सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। प्रितिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सिहत): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी
	(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं : या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18000- 56900/- रु.) का पदधारण करते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और, (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों :

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र; और
(ii) सरकारी अस्पताल या संस्थान में चिकित्सा अभिलेख विभाग में पांच वर्ष का अनुभव ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में
	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
	किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति: (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
मिलकर बनेगी :-	आवश्यक नहीं है
1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष	
2. अध्यक्ष, चिकित्सा अभिलेख विभाग - सदस्य	
3. उप निदेशक, प्रशासन, भार साधक चिकित्सा अस्पताल प्रभाग, - सदस्य	
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली	
4. उप निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल, - सदस्य	

[ फा. सं. ए. 11018/33/2017-एमएच-॥ ]

जी. पी. समंता, अवर सचिव

## New Delhi, the 30th August, 2018

- **G.S.R. 292.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjang Hospital, New Delhi Medical Record Technician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of Medical Record Technician in Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:—
- **1.** (1) **Short title and commencement.**—These rules may called the Safdarjang Hospital, New Delhi, Medical Record Technician Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix of pay scale.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification.**—No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of the	Number of posts	Classification	Level in pay matrix or pay	Whether selection post or Non-
			scale	selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical	08* (2018)	General Central Service,	Level 4 in the	Non-selection
Record	*Subject to variation	Group 'C', Non Gazetted,	pay matrix (Rs.	
Technician	dependent on workload.	Non Ministerial	25500-81100)	

Age-limit for direc	Educational and	Whether age and	Period of	Method of
recruits	other qualifications	educational	probation, if any	recruitment, whether
	required for direct	qualifications		by direct recruitment
	recruits	prescribed for		or by promotion or by
		direct recruits will		deputation or
		apply in the case of		absorption and
		promotees.		percentage of the
				vacancies to be filled
				by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing
				which by deputation
				(including short term
				contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

## Qualification:-

100 percent by promotion from Group 'C' staff of Safdarjung Hospital with eight years regular service in level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) and having five years experience in Medical Record Department in Safdarjung Hospital with Medical Records Training Certificate or Diploma from Government recognized Hospital or Institute.

**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post

Deputation (including short term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
  - (ii) holding post in the Level 1 of the pay matrix (Rs. 18000-56900) with eight years regular service in the grade; and
- (b) possessing the following educational qualification and experience:
- (i) Diploma or Certificate in Medical Record Technician from a recognised University or Institution; and
- (ii) five year experience in Medical Records Department in a Government Hospital or or Institute.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union
	Public Services Commission is to
	be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotional Committee (for considering promotion	(n) Consultation with the Union Public
comprising of:	Service Commission not necessary.
Additional Medical Superintendent ,	
Safdarjung Hospital, New Delhi	
- Chairm	an
2. Head of Medical Records Department	
- Memb	per
3. Deputy Director Administration, in charge or	
Medical Hospital Division in Directorate General of Health Services	
- Memb	per
4. Deputy Director Admn. Safdarjung Hospital	
- Memb	per

[F. No. A.11018/33/2017-MH- II]G. P. SAMANTA, Under Secy.

# जल संसाधन. नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 293.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, आशुलिपिक श्रेणी -। भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में आशुलिपिक श्रेणी -। और आशुलिपिक श्रेणी -।। के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :--

- 1. संक्रिस नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, आशुलिपिक, श्रेणी-1, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति--
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।